न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 36 /2017 (2017/00049)

सुगना पुत्र हरदेव जाति गुजर निवासी नेग्या का खेड़ा (छावडिया)पटवार हल्का लसाडिया तह.केकड़ी जिला अजमेर

----वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर राज. ।

---- प्रतिवादी

(वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,89, राज.काश्तकारी अधिनियम)

-:: निर्णय ::-

दिनांक 3.1.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम छावडिया पटवार मण्डल लसाडिया में स्थित आराजी की जमाबन्दी सं. 2071-74 की निम्नानुसार आराजीयात है:-

खाता स. नया-पुराना	खसरा नम्बर नया-पुराना	रकबा	किस्म
1-1	935-409/1मि.	0.70	बा.दोयम
810-819	937/409/1मि.	0.31	बा.दो.
	कुल 2		

उक्त आराजीयात वादी के कब्जे काश्त उपयोग , उपभोग मे चली आ रही है। वर्तमान में वादी ने सरसो की फसल काश्त की है। वादी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा नहीं है। वादी ने नियमानुसारशास्ति एंव सिचांई शुल्क भी अदा किया है। वादी भूमि हीन व्यक्ति है। उक्त आराजीयात के अलावा वादी के पास अन्य कोई आराजी नहीं है। वादी उक्त आराजीयात से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। उक्त आराजीयात सिवायचक भूमि में अंकित है। वादी उक्त आराजी पर सरकारी योजनाओ क लांभश से वंचित होरहा है। काश्त करने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पडता है। वादी ने प्रतिवादी एवं राजस्व अधिकारीयो से निवेदन किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई । दिनांक 22.11.2010 प्रशासन गांवों के संग में खातेदारी के लिये प्रार्थना पत्र देने व उसके पश्चात भी निवेदन करने पर खातेदारी नहीं दी तो दावा पेश करना आवश्यक हुआ । अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी को नियमन /आंवटन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार केकडी ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कियां जो संलग्न पत्रावली किया गया। प्रतिवादी का कथन है कि वादी का कब्जा लगातार नहीं है। वादी स्वयं सिद्व करें। वाद वर्णित आराजी ख.न. 935, 937 सिवायचक भूमि है। जिसके पुराने ख.न. 409/1मि.सरकारी भूमि थी। वादी द्वारा वर्णित किया गया है कि दिनांक 22.11.2010 को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन नहीं हुआ है। अतः अस्वीकार है। अतिरिक्त कथन में बताया कि वादी द्वारा वाद में वर्णित भूमि 935 सिवायचक बिलानाम भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। अतःवाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी के जवाब प्रस्तुत होने पर तनकीयात कायम की गई जों निम्न प्रकार है:-

1 आया वादी द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि उसके कब्जे काश्त व स्वामित्व की आराजी होने से वादी कब्जे के अनुसार घोषणा कराने का हक रखता है।

वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.03.14 17:35:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

2 आया वादी द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त आराजी पूर्व व वर्तमान जमाबन्दी में बिलानाम सिवायचक भूमि होने से वादी का दावा चलने योग्य नहीं है।

प्रतिवादी

3 आया वादीद्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि पर वादी का लगातार कब्जा नही होने व धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत बार बार बेदखल करने से वादी का दावा खारिज होने योग्य है।

4 दादरसी

वादी ने शपथपत्र प्रस्तुत कर स्वयं को परीक्षित करवाया, जो पीडब्ल्यु 01 है। दस्तावेजात प्रदर्श –07 से प्रदर्श 12 का अंकन शपथ पत्र के पैरा संख्या 05 मे किया गया है,इसके अनुसार दावा स्वीकार करने की प्रार्थना की है। अन्य गवाह हरनाथ पुत्र नारायण गूजर निवासी चेच्या का खेडा तहसील केकडी जिला अजमेर पीडब्ल्यु 02,पीडब्ल्यु 03भंवरलाल पुत्र हुक्मा जाति गूर्जर पेश किया। सभी गवाहान ने वाद पत्र को स्वीकार करने की प्रार्थना की है। प्रतिवादी की और से साक्ष्य पेश नहीं करने पर पक्षकारान की बहस सुनी गई।

वादी वकील ने अपनी बहस प्रारंभ करते हुए वाद पत्र मे अंकित कथनो को दौहराया तथा वाद पत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब मे अंकित कथनो को दौहराया तथा वाद पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात व बहस पक्षकारान पर मनन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार है:–

तनकी नंबर 01:–वादी द्वारा प्रस्तुत खसरा परिवर्तन शील एवं 91 एल0आर0एक्ट के तहत जारी नोटिसेज के अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि उसके कब्जे काश्त व स्वामित्व की आराजी होने से खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहता है। प्रतिवादी का कथन है वादी का कब्जा लगातार नहीं है। राजस्व रेकार्ड के अनुसार आराजी सिवायचक खाते मे दर्ज है। जिस पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। अतः वाद पत्र खारिज किया जावे। वादी अपना लगातार कब्जा साबित नहीं कर पाया है। संवत 2040,2042,2043,2044,2047,2048,2049,2054, 2061,2062,2066,2069 पेश की है। अतः वादी का कब्जा लगातार नहीं पाये जाने से यह तनकी वादी के विपक्ष मे तय की जाती है।

2.–3 वादी द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त आराजी पूर्व व वर्तमान जमाबन्दी में बिलानाम सिवायचक भूमि होने से वादी का दावा चलने योग्य नहीं है। राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत् 2071–74 के अनुसार यह आराजी सिवायचक खाते मे होने से तथा लगातार कब्जा नहीं होने से वादी खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष मे तय की जाती है।

तनकी नंबर 01,वादी के विरूद्ध तथा तनकी नंबर 02 व 03 प्रतिवादी के पक्ष मे तय की जाने से वादी का वाद चलने योग्य नहीं पाया गया। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। ग्राम छाबड़िया की जमाबंदी सवंत 2071–74 के खाता संख्या 01 मे दर्ज खसरा नंबर 935 रकबा 0.70 है0 बारानी दोयम तथा खसरा नंबर 937 रकबा 0.31 है0 बारानी दोयम पर खातेदारी घोषणा चाहने बाबत् दावा,वादी द्वारा लगातार कब्जा सिद्ध नही कर पाया है। वादी का कब्जा आराजी पर भिन्न भिन्न वर्षो मे अवश्य पाया गया है। अतः जब भी आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की जावे। पात्रता की हद तक वादी के प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाकर उसे प्राथमिकता दी जावे। वाद खारिज किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.03.14 17:35:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकडी

Scanned with CamScanner